

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 17-ए/2017

F.No. 41/2017

संस्थापित दिनांक-10.01.2017

1. देवीशरण पुत्र चिन्तोले उम्र 45 वर्ष
 2. भीमसिंह पुत्र चिन्तोले उम्र 40 वर्ष
 3. रामचरण पुत्र बल्देव उम्र 85 वर्ष
- निवासीगण ग्राम पडवारी मौजा गुसींग वृत्त
उमरी तह. व जिला भिण्ड

..... आवेदकगण/वादीगण

वि रू द्ध

1. आशाराम दौहरे पुत्र बारेलाल उम्र 65 वर्ष
निवासी ग्राम पडवारी मौजा गुसींग वृत्त
उमरी तह. व जिला भिण्ड
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड

---अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक **09.08.2017** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा गुसींग जिला भिण्ड के भूमि सर्वे क्रमांक 78/1, 78/2 एवं सर्वे क्रमांक 79 (अत्र पश्चात विवादित भूमि) क्षेत्रफल क्रमशः 0.92, 0.07 एवं 0.85 हेक्टेयर (बंदौवस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 120 क्षेत्रफल 1.672 हेक्टेयर) भूमि को वादीगण के पिता चिन्तोले एवं वादी क्रमांक 3 व अन्य क्रेता बिजलाल व प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं उसके भाई नाथू के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.6.1964 के माध्यम से अजुद्धी से क्रय की थी, जिसमें वादी क्रमांक 1 व 2 के पूर्वज

चिन्तोले व वादी क्रमांक 3 रामचरन का हिस्सा $1/2$, बिजलाल का हिस्सा $1/4$ तथा नाथू व आशाराम का हिस्सा $1/4$ था। वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 78 एवं 79 क्षेत्रफल क्रमशः 0.99 एवं 0.85 कुल क्षेत्रफल 1.84 हेक्टेयर पूर्व सर्वे क्रमांक 120 क्षेत्रफल 1.672 हेक्टेयर से बनाये गये थे।

3. बंदौवस्त कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि का बंदौवस्त करते समय उसके सही क्षेत्रफल 1.672 में भूलवश 17 विश्वा की वृद्धि करके कुल क्षेत्रफल 1.840 कर दिया, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 1 के मन में बदयांती आ गई और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने तहसील वृत्त उमरी के समक्ष गोपनीय ढंग से बटवारा प्रकरण प्रस्तुत कर दिनांक 11.10.002 को एक पक्षीय बटवारा आदेश पारित कराया और सर्वे क्रमांक 78 क्षेत्रफल 0.92 वादी को तथा $78/1$ क्षेत्रफल 0.07 व सर्वे क्रमांक 79 क्षेत्रफल 0.85 प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में कर दिया और धारा 250 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रतिवादी ने विवादित भूमि सर्वे क्रमांक $78/1$ 0.07 हेक्टेयर पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ की, जिसमें दिनांक 30.1.2012 को वादीगण को कब्जा वापस करने का आदेश दिया गया और एस डी भिण्ड ने भी दिनांक 23.6.2016 को आदेश पारित किया।

4. वादग्रस्त भूमि का बंदौवस्त पूर्व कुल क्षेत्रफल 1.672 हेक्टेयर था तथा वादी तथा प्रतिवादी का समान भाग $1/2-1/2$ होकर उनका हिस्सा 0.83-0.83 हेक्टेयर होता है और उक्त हिस्सा ही मिलना चाहिये था, परंतु बंदौवस्त के दौरान बंदौवस्त कर्मचारियों ने 17 विश्वा की अनाधिकृत वृद्धि कर दी। राजस्व न्यायाल के समक्ष हुई कार्यवाहियों में प्रतिवादी ने उक्त तथ्य को छुपाया। वादीगण ने एस डी ओ के समक्ष धारा 89 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भूल सुधार हेतु आवेदन दिया है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि को अंतरण करने की धमकी दे रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है

कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का विक्रय न करे। वादी देवीशरण ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

5. अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लिखित कथन एवं आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि बंदौवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 120 के पूर्व भूमि स्वामी अजुद्धी से वादग्रस्त भूमि क्रय की गई थी तथा उसमें वादीगण का भाग 1/2 तथा उसका भाग 1/2 है और सर्वे क्रमांक 120 से सर्वे क्रमांक 78 एवं 79 निर्मित हुये है। तहसीलदार वृत्त उमरी ने बटवारा आदेश पारित किया है तथा बटवारे में सर्वे क्रमांक 78/1 क्षेत्रफल 0.07 एवं सर्वे क्रमांक 79 क्षेत्रफल 0.85 उसे तथा सर्वे क्रमांक 78/2 क्षेत्रफल 0.92 वादीगण को प्राप्त हुई है। तहसीलदार ने धारा 250 राजस्व संहिता के अंतर्गत आदेश पारित किया, जिसे एस डी ओ भिण्ड के द्वारा स्थिर रखा गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने 1/2 भाग का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी राजस्व अभिलेख में चला आ रहा है और वादीगण को उसके हिस्से में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन के समर्थन में प्रतिवादी आशाराम ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 2 एक पक्षीय है।

7. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदकगण/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

8. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर इस मामले में इस संबंध में कोई

विवाद नहीं है कि वादग्रस्त भूमि का पूर्व सर्वे क्रमांक 120 था तथा उक्त सर्वे क्रमांक से बंदौवस्त पश्चात नवीन सर्वे क्रमांक सर्वे क्रमांक 78 एवं 79 बनाये गये हैं तथा वादग्रस्त भूमि अजुद्धी से विक्रय पत्र दिनांक 18.6.1964 के माध्यम से क्रय की गई है और वादग्रस्त भूमि में वादीगण का भाग 1/2 है क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त तथ्यों को लिखित कथन में स्वीकार किया है।

9. वादीगण के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि में समान भाग 0.83-0.83 हेक्टेयर प्राप्त होना चाहिये था, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने यह अभिवचन किया है कि तहसीलदार वृत्त उमरी द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार उभयपक्ष के द्वारा किये गये अभिवचन से इस मामले में इस संबंध में विवाद होना दर्शित है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि में उनके हिस्से के अनुसार भूमि प्राप्त हुई अथवा नहीं और क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि में 0.83 हेक्टेयर भूमि के वास्तविक स्वामी होकर स्वत्वधारी है।

10. वादीगण की ओर से अभिलेख पर धारा 178 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.3.2002 की प्रति, फर्द बटवारा की प्रति, आदेश पत्रिका दिनांक 11.10.2002, आवेदन दिनांक 25.7.2011 अंतर्गत धारा 250 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की प्रति, पंचनामा, नजरी नक्शा, आदेश पत्रिका दिनांक 30.4.2012, 10.6.2016, 23.6.2016 की प्रति तथा विक्रय पत्र दिनांक 18.6.1964 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा 1946-50, अधिकार अभिलेख एवं खतोनी वर्ष 2001-2002 की प्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. वादीगण की ओर से वर्तमान का कोई भी ऐसा दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह प्रकट करता हो कि वादग्रस्त भूमि में उन्हें व प्रतिवादी क्रमांक 1 को कितना क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है तथा वर्तमान में क्या स्थिति है। फर्द बटवारा वर्ष 2001-02 की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट हो

रहा है कि वादीगण देवीशरण, भीमसिंह पुत्रगण चित्तोले एवं रामचरण को सर्वे क्रमांक 78 में 0.92 हेक्टेयर तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम को सर्वे क्रमांक 78 में 0.07 और सर्वे क्रमांक 79 में 0.85 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है और कुल मिलाकर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 को बराबर बराबर 0.92 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पालन में तैयार की किये गये उक्त फर्द बटवारे को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के बिना प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि में उतना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ, जितना कि उन्हें विधि अनुसार प्राप्त होना था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष होना नहीं पाया जाता है।

12. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि का वर्तमान का कोई राजस्व अभिलेख भी अभिलेख पर वादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनी क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं पायी जाती है।

13. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 09.08.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)